

संख्या:-जी०आई०:- 2428 /7-1-2010-800(3298)/2009.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।1553  
1 स्त्री (कृ०)  
25-11-2010

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2010.

विषय:- जनपद-चमोली के अन्तर्गत उज्जवलपुर से जसपुर-ग्वाड़-डुंग्री मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.710 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 1072/1जी-2642 (चमोली) दिनांक 29-10-2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चमोली के अन्तर्गत उज्जवलपुर से जसपुर-ग्वाड़-डुंग्री मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.710 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8वीं/यू.सी.पी./06/335/2009/एफ.सी./950 दिनांक 13-10-2010 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा चिन्हित 3.42 हे० फ़िरोली अवन्त सिविल एवं सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्त हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 3.2(1) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पक्ष में नागान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-177/2010-एफसी दिनांक 3-8-2010, जिसके द्वारा सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 5-7-2010 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है, उस बैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित कर इसके वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन पंचायत नियमावली, 2005 के संगत प्राविधानों के तहत वन पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त सिविल एवं सोयम वन भूमि के हस्तान्तरण के विषय पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार इत भूमि को छः माह की अवधि में संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल ऊर्ध्व प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्थान अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से वन सन्ध को क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सन्ध को कोई क्षति पहुँचाये जाये है अथवा कोई क्षति पहुँचाये है तो उसके लिए



- सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
  7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
  8. वन विभाग तथा उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हरतान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
  9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
  10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संरतुथियों एवं शू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
  12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
  13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
  14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से निर्माण में गिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
  15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित प्राणों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
  16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
  17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूर्क वृक्षारोपण निधि प्रवन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
  18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निस्तारित नहीं किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे के उचित निस्तारण हेतु गक डिम्पिंग स्थलों को चयनित कर चिह्नित स्थलों पर ही मलवे का निस्तारण किया जायेगा। गक डिस्पोजल स्थलों के वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक कार्यों के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना तैयार की जायेगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गक डिस्पोजल की योजना प्रभागीय वनाधिकारी से स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ तथा नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। गक डिस्पोजल कार्य योजना प्रेषित न कराये जाने की दशा में इसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन समझा जायेगा एवं कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-104/26/प्र०स०-आ०व०प्रा०वि० दि०-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं०-110/26/प्र०स०-आ०व०प्रा०वि० दि०-4-1-2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 तः प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)

अपर सचिव।